राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या............952 / 2015.............................. जिला ....अजमेर...

उनवान : मैसर्स एटलस कॉपको इण्डिया लिमिटेड, बिजयनगर, अजमेर बनाम (1) उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (2) वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ श्री मनोहर पुरी, सदस्य श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य	
10 / 07 / 2015	अपीलार्थी द्वारा यह अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र सहित अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के स्थगन प्रार्थना–पत्र संख्या 56 / 15–16 / वैट / बिजयनगर में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 22.06.2015 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, अजमेर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2013–14 का कर निर्धारण आदेश अन्तर्गत वेट अधिनियम की धारा 25, 55, 61(1) के तहत दिनांक 28.04.2015 को पारित करते हुए कुल मांग रूपये 5,66,98,193 / – कायम की गयी। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में वसूली योग्य राशि रूपये 5,48,83,503 / – की वसूली की कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु स्थगन प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 38(4) भी प्रस्तुत किया गया। अपीलीय अधिकारी ने वेट अधिनियम की धारा 38(4) के तहत प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र में दिनांक 22.06.2015 को निर्णय पारित करते हुए रूपये 3,73,90,552 / – की राशि पर इस शर्त पर स्थगन स्वीकार किया गया कि अपीलार्थी बकाया कर राशि रूपये 1,74,92,951 / – जमा करवायेंगे। अपीलार्थी द्वारा उक्त कर राशि के स्थगन हेतु यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत की गयी है। अपीलार्थी के अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि श्री अरिंजय जैन एवं राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री डी. पी. ओझा की बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि ने अपीलार्थी व्यवहारी के ही पूर्ववर्ती वर्ष 2012–13 से सम्बन्धित प्रकरण में माननीय राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 835 / 2015 में खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.06.2015 की प्रति प्रस्तुत की गयी, जिसमें बकाया राशि पर स्थगन स्वीकार किया गया है। 10-7-15 लगातार..........2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या............952/2015.............................. जिला ....अजमेर..

उनवान : मैसर्स एटलस कॉपको इण्डिया लिमिटेड, बिजयनगर, अजमेर बनाम (1) उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (2) वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग [redacted]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज —: 2 :—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/07/2015	उभय पक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात, **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** प्रकरण में बकाया कर राशि **रूपये 1,74,92,951/—** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। 10-7-15 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर 10.07.2015 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	